

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/72

दिनांक : 5/2/18

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु  
(इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।**


— :: — :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते है कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	CMHO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु	डॉ० ममता कुमारी पुत्री श्री रामप्रताप	गांव सदाउ पोस्ट सुरुतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० बजरंग पुत्र श्री श्रवण कुमार	सी-116, सैनिक कॉलोनी, राजगढ जिला चूरु
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० प्रयाशा रोहिला पुत्री श्री रामगोपाल रोहिला	मु०पो० छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० गायत्री शर्मा पुत्री श्री हरि दत्त शर्मा	वार्ड-11, नगरासरी पोस्ट ललानिया तहसील नौहर जिला हनुमानगढ
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	डॉ० मनीषा अहारी पुत्री श्री शंकर लाल अहारी	गांव कुमारिया खेडा पोस्ट पई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	डॉ० सुनील कुमार मीणा पुत्र श्री अमर सिंह मीना	पुरानी ट्रक यूनियन, शिव कॉलोनी, तहसील व जिला करौली
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० जसवन्त सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	गांव रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० महिपाल तंवर श्री देवीसिंह तंवर	गांव रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० सिकन्दर पुत्र श्री बसीर खान	चौधरी कॉलेज के पास, तारानगर चूरु
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	डॉ० अंकिता उपाध्याय पुत्री डॉ० योगेन्द्र उपाध्याय	274-बी, गोवर्धन नगर, टोल टैक्स, सांगानेर, जयपुर
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ(चूरु)	डॉ० नानजी राम पुत्र श्री हीराराम	ग्राम पोस्ट देवनगर भेडाना तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	डॉ० श्याम सुन्दर पुत्र श्री चम्पा लाल	2/85 हाउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाडमेर

13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० सुमिता खिलेरी पुत्री श्री ज्ञाना राम खिलेरी	छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	डॉ० चिमनेश खत्री पुत्र श्री विजय कुमार	सुन्दर नगर चौहटन बाडमेर
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ० हेमलता यादव पुत्री श्री दाताराम यादव	एफ-52, गांधी नगर, जयपुर
16.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ० मोनिका ढाका पुत्री श्री रामनिवास ढाका	मोदियों की जाव, हाउस नम्बर 19, वार्ड नम्बर-24, झुन्झुनू
17.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ० कृति शुक्ला पुत्री श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	बगड़ रोड, विश्वकर्मा पेट्रोल पंप के सामने, धन लक्ष्मी, बगड़ रोड, झुन्झुनू
18.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ० दिव्या राठौड़ पुत्री श्री आनन्द सिंह राठौड़	टी-35/ए स्वरूप सागर रेल्वे कॉलोनी, उदयपुर
19.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	डॉ० कोमल सोलंकी पुत्री श्री प्रदीप सोलंकी	556, रूपनगर-। पालरोड, जिला जोधपुर


  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/72

दिनांक : 5/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान जयपुर।